जवाहरलाल नेहरू
राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन

शहरी सुधार कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए समय–सीमा

जेएनएनयूआरएम

विषय सूची

एक परिचय

I स्थानीय शहरी निकाय (यू एल बी) स्तर पर सुधार कार्यक्रम 4

II. राज्य सरकार स्तर पर सुधार कार्यक्रम 8

III. वैकल्पिक सुधार कार्यक्रम 13

IV. करार ज्ञापन (एम ओ ए) की रूपरेखा 15

एक परिचय

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) सहायता के लिए आवेदन करने वाले शहरों से अपेक्षा रखता है कि वे प्रस्तावित सुधार कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए एक समय सारणी प्रस्तुत करें। सुधार कार्यक्रमों में (i) स्थानीय शहरी निकायों (यूएलबी) तथा (ii)राज्य सरकारों द्वारा किए जाने वाले सुधार शामिल हैं।

इस एक परिचय की अभिकल्पना आवेदन करने वाले शहरों से सूचना प्राप्त करने के लिए की गयी है जिससे शहरी विकास मंत्रालय (एम ओ यू डी) या शहरी रोजगार एवं गरीबी उमशमन मंत्रालय (एम ओ यू ई पी ए) निम्नलिखित निर्धारित कर सके: (i) सुधार कार्यक्रम की प्रत्येक संरचना के लिए निर्देश चिन्ह, तथा (ii) सुधार कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए एक समय-सारणी।

सुधार कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए समय-सीमा करार ज्ञापन (एमओए) के साथ संलग्न होगी, जिसका मसौदा इस एक परिचय के साथ संलग्न है।

1 स्थानीय शहरी निकाय (यू एल बी) स्तर पर सुधार कार्यक्रम

लेखाकरण सुधार

स्थानीय शहरी निकाय लेखाकरण की किस प्रणाली का पालन करते हैं?

रोकड़ आधारित, एकल प्रविष्टि	☐
संशोधित उपचय	☐
उपचय, युग्म प्रविष्टि	☐

यदि यह उपचय, युग्म प्रविष्टि आधारित है तो इस प्रणाली को कब से अपनाया जा रहा है ? वर्ष ☐

यदि रोकड़ आधारित या संशोधित उपचय है तो उपचय युग्म प्रविष्टि प्रणाली में बदलने के लिए समय सारणी बताएं

1 वर्ष	2 वर्ष	3 वर्ष	4 वर्ष	5 वर्ष	6 वर्ष	7 वर्ष
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

ई-संचालन प्रयुक्ति (आईटी, जीआईएस और एमआईएस का प्रयोग)

क्या ई-संचालित अनुप्रयोगों के प्रयोग या स्थानीय शहरी निकायों में ई-संचालन कक्ष बनाने की दिशा में कोई कदम उठाया गया ?

हाँ ☐ नहीं ☐

यदि हाँ तो स्थानीय शहरी निकाय इन अनुप्रयोगों का उपयोग किस सेवा के लिए तथा किस प्रकार कर रहे हैं?

ई-संचालन अनुप्रयोगों का उपयोग कर रही सेवायें	विवरण
क.	
ख.	
ग.	
घ.	

सम्पत्ति कर सुधार, 2004/05

शहर में सम्पत्तियों की कुल संख्या ?

करारोपण के उद्देश्य से मूल्यांकित संपत्तियों की संख्या ?

वित्तीय वर्ष 2003–2004 में उन संपत्तियों की संख्या जिन्होंने कर अदा किया ?

करारोपण का क्या आधार है ?

- वार्षिक कर योग्य वैल्यू (ए आर वी)
- ए आर वी निर्धारण के लिए इकाई क्षेत्र वैल्यू
- संपत्ति मूल्य या संपत्ति कर के सीधे निर्धारण के लिए इकाई क्षेत्र वैल्यू
- पूंजीगत मूल्यांकन

मांगी गई कर की राशि क्या है ?

2003/2004	2004/2005
रु०	रु०

संग्रहित कर राशि क्या है ?

2003/2004	2004/2005
रु०	रु०

मांग किए गए कर के लिए 85% कर संग्रह का लक्ष्य प्राप्त करना

1 वर्ष	2 वर्ष	3 वर्ष	4 वर्ष	5 वर्ष	6 वर्ष	7 वर्ष

उपयोगकर्ता प्रभारों की उगाही

पानी की आपूर्ति

नगर/अर्धराज्यीय पानी आपूर्ति की व्यवस्था वाले घरों की प्रतिशतता	%
प्रति व्यक्ति घरेलू पानी की आपूर्ति	एलपीसीडी
पानी आपूर्ति के औसत घंटे	घंटे
कुल वितरित पानी में राजस्व रहित पानी की प्रतिशतता	%
मुफ्त आपूर्ति किए गए पानी की प्रतिशतता	%
रिसाव और चोरी के कारण पानी की हानि की प्रतिशतता	%

पानी वितरण में व्यय (संचालन एवं रखरखाव तथा ऋण अदायगी)की कुल लागत

2003/2004	2004/2005
रु०	रु०

पानी के विक्रय से कुल वसूली

2003/2004	2004/2005
रु०	रु०

लागत वसूली लक्ष्य प्राप्त करना (पूरी ओ एवं एम वसूली)

1 वर्ष	2 वर्ष	3 वर्ष	4 वर्ष	5 वर्ष	6 वर्ष	7 वर्ष

अन्य सेवाएं

सेवा	प्रयोगकर्ता प्रभार
क.	%
ख.	%
ग.	%
घ.	%

लागत वसूली लक्ष्य प्राप्त करना (पूरी ओ एवं एम वसूली)

1 वर्ष	2 वर्ष	3 वर्ष	4 वर्ष	5 वर्ष	6 वर्ष	7 वर्ष

शहरी गरीबों को सेवाएं

अनधिकृत मकानों/अस्थाई ढांचों में निवास कर रहे परिवारों की प्रतिशतता	%
अनधिकृत मकानों/अस्थाई ढांचों में निम्नलिखित की उपलब्धता के बिना निवास कर रहे परिवारों की प्रतिशतता	%
नगरीय पानी आपूर्ति	%
सफाई	%
प्राथमिक शिक्षा	%
प्राथमिक स्वास्थ्य	%

शहरी गरीबों तक सेवाओं का विस्तार

1 वर्ष	2 वर्ष	3 वर्ष	4 वर्ष	5 वर्ष	6 वर्ष	7 वर्ष

शहरी गरीबों के लिए बजट को आन्तरिक रूप से निर्धारित करना

1 वर्ष	2 वर्ष	3 वर्ष	4 वर्ष	5 वर्ष	6 वर्ष	7 वर्ष

2 राज्य सरकार स्तर पर सुधार कार्यक्रम

संविधान (चौहत्तरवां) संशोधन अधिनियम, 1992 का कार्यान्वयन

अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित के कार्यान्वयन की क्या स्थिति है ? स्पष्ट करें।

	हाँ	नहीं	टिप्पणी
(क) नगरपालिका का गठन			
(ख) नगरपालिका परिषद की रचना			
(ग) महिलाओं, अ॰ जा॰ तथा अ॰ ज॰ जा॰ के लिए सीटों का आरक्षण			
(घ) जिला योजना समिति (डी पी सी) का गठन			
(ड़) महानगरीय योजना समिति (एम पी सी) का गठन			
(च) अनुसूची 12 का राज्य नगरपालिका अधिनियम में समावेशन			

यदि अनुसूची 12 को राज्य नगरपालिका अधिनियम में समाविष्ट किया गया है तो क्या इसे पूरी तरह से समाविष्ट किया गया है या आंशिक रूप से ?

पूर्ण रूप से ☐ आंशिक रूप से ☐

अनुसूची 12 के किन कार्यों को राज्य नगरीय अधिनियम में समाविष्ट किया गया है तथा किन को स्थानीय शहरी निकायों को हस्तांतरित किया गया है ?

अनुसूची 12 की सूची में आने वाले कार्य	समाविष्ट कार्य	स्थानीय शहरी निकायों को हस्तांतरित (यथार्थत:)
1. नगर योजना सहित शहरी योजना		
2. भूमि-प्रयोग तथा भवनों का निर्माण का विनियमन		
3. आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए योजना		
4. सड़कें तथा पुल		
5. घरेलू, औद्योगिक तथा वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए पानी की आपूर्ति		
6. सार्वजनिक स्वास्थ्य, सफाई, स्वच्छता तथा ठोस कूड़े का प्रबंधन		
7. अग्निशमन सेवाएं		
8. शहरी वन, पर्यावरण का संरक्षण तथा परिस्थितिकीय पक्ष को प्रोत्साहन देना		
9. विकलागों तथा मंदबुद्धि सहित समाज के कमजोर वर्ग के हितों की रक्षा करना		
10. गन्दी बस्ती सुधार तथा उन्नयन		

अनुसूची 12 की सूची में आने वाले कार्य	समाविष्ट कार्य	शहरी स्थानीय निकायों को हस्तांतरित (यथार्थत:)
11. शहरी गरीबी उपशमन		
12. शहरी सुख सुविधाओं, पार्कों, बागों तथा खेल के मैदानों की व्यवस्था करना		
13. सांस्कृतिक, शैक्षिक तथा कलात्मक पक्ष को प्रोत्साहन देना		
14. कब्रिस्तान, श्मशान तथा वैद्युत शवदाह गृह		
15. पशु बाड़ा, पशुओं पर क्रूरता को रोकना		
16. जन्म तथा मृत्यु का पंजीकरण सहित अनिवार्य आकड़े		
17. स्ट्रीट लाइट, पार्किंग के लिए जगह, बस स्टॉप तथा सार्वजनिक सुविधा सहित सार्वजनिक सुख साधन		
18. पशुवधशाला तथा चर्मशोधन का विनियमन		

क्या कार्यों का हस्तांतरण स्टाफ के स्थानान्तरण सहित हुआ?

हाँ ☐ नहीं ☐

यदि नहीं तो क्या स्थानीय शहरी निकाय को हस्तांतरित कार्यों के प्रबंधन के लिए स्टाफ भर्ती करने का अधिकार दिया गया है?

हाँ ☐ नहीं ☐

अनुसूची 12 में वर्णित कार्यों को स्थानीय शहरी निकाय को हस्तांतरण के लिए एक समय-सारणी दें।

1 वर्ष	2 वर्ष	3 वर्ष	4 वर्ष	5 वर्ष	6 वर्ष	7 वर्ष
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

यदि डीपीसी/एमपीसी का गठन किया है तो अधिनियम की एक प्रति संलग्न करें।

यदि डीपीसी/एमपीसी का गठन नहीं किया गया है तो क्या उनके गठन के लिए विधायी प्रक्रिया शुरू की गई है?

हाँ ☐ नहीं ☐

यदि नहीं, जो डीपीसी/एमपी सी के गठन के लिए एक समय-सारणी दें।

1 वर्ष	2 वर्ष	3 वर्ष	4 वर्ष	5 वर्ष	6 वर्ष	7 वर्ष
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

शहरी भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम 1976* - का निरसन

राज्य में अधिनियम का वर्तमान स्तर

निरसित ☐

अनिरसित ☐

यदि निरसित नहीं किया गया है तो इसके निरसन के लिए समय सीमा दें।

1 वर्ष	2 वर्ष	3 वर्ष	4 वर्ष	5 वर्ष	6 वर्ष	7 वर्ष
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

किराया नियन्त्रण सुधार-2004/2005*

क. किराया नियंत्रण के अधीन सम्पत्तियों की संख्या ☐

ख. सम्पत्तियों की कुल संख्या की प्रतिशतता ☐

ग. किराये की वर्तमान अधिकतम सीमा जिसके नीचे वाली सम्पत्तियां किराया नियंत्रण के अधीन आने के लिए अर्हक होती हैं रु॰ ☐

विद्यमान कानूनों में उन प्रावधानों का उल्लेख करें जो किरायेदारी अवधि की समाप्ति पर सम्पत्ति मालिक को मकान को खाली कराने की अनुमति देता हो।

विद्यमान कानूनों में उन प्रावधानों का उल्लेख करें जो किरायेदारी के हस्तान्तरण की अनुमति देता है।

किराया नियंत्रण कानूनों में सुधारों के लिए समय सीमा

1 वर्ष	2 वर्ष	3 वर्ष	4 वर्ष	5 वर्ष	6 वर्ष	7 वर्ष
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

किराया नियंत्रण कानूनों में प्रस्तावित सुधार की रूप रेखा दें।

* शहरी गरीबों के लिए आधारभूत सेवाओं तथा जल आपूर्ति एवं सफाई के लिए स्कीमों के संबंध में दो अनिवार्य सुधार अर्थात:- शहरी भूमि अधिकतम सीमा एवं विनियमन अधिनियम 1976 का निरसन तथा किराया नियंत्रण कानूनों का सुधार ऐच्छिक होगा।

स्टांप शुल्क का युक्तीकरण, 2005

सम्पत्ति संबंधी लेने-देनों (विक्रय, क्रय, हस्तान्तरण आदि) के लिए यथा लागू वर्तमान स्टांप शुल्क की दरें

>10°/°	8– 10°/°	6– 8°/°	5°/° एवं कम

आधार दर पर कोई सरचार्ज

>2°/°	1–2°/°	<1°/°

5 प्रतिशत या 5 प्रतिशत से कम के लिए स्टांप शुल्क की दर कम करने हेतु समय सीमा रेखा

1 वर्ष	2 वर्ष	3 वर्ष	4 वर्ष	5 वर्ष	6 वर्ष	7 वर्ष

सार्वजनिक प्रकटीकरण कानून

क्या विद्यमान राज्य नगर अधिनियम में सार्वजनिक रूप से प्रकट करने (पब्लिक स्क्रीनिंग या म्यूनीसिपल बजट प्रस्तावों की समीक्षा) के संबंध में कोई प्रावधान हैं

हाँ ☐ नहीं ☐

यदि हाँ, तो प्रावधान का उल्लेख करें और उसकी उपयुक्तता पर टिप्पणी करें–

विद्यमान राज्य स्तरीय म्यूनीसिपल कानून में सार्वजनिक प्रकटीकरण कानून के अधिनियम या संगत प्रावधान के समावेशन के लिए समय सीमा दें–

1 वर्ष	2 वर्ष	3 वर्ष	4 वर्ष	5 वर्ष	6 वर्ष	7 वर्ष

सामुदायिक भागीदारी कानून

क्या राज्य म्यूनीसिपल अधिनियमों में म्यूनीसिपल कार्यो में व्यापार जैसे कि प्राथमिकता तय करना, बजट प्रावधान बनाना आदि में सिविल सोसायटी, उद्योग को शामिल किये जाने के संबंध में कोई प्रावधान है?

हाँ ☐ नहीं ☐

विधमान राज्य स्तरीय म्यूनीसिपल कानून में सामुदायिक भागीदारी कानून के अधिनियमन या संगत प्रावधान के समावेशन की समय सीमा।

1 वर्ष	2 वर्ष	3 वर्ष	4 वर्ष	5 वर्ष	6 वर्ष	7 वर्ष

नगर योजना कार्य

नगर के लिए नगर (शहरी) योजना कार्य हेतु कौन जिम्मेदार है?

शहरी स्थानीय निकाय (यू एल बी) ☐
नगर आधारित विशेष उद्देशीय एजेन्सी ☐
राज्य स्तरीय नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन ☐

नगर योजना कार्य के साथ यू एल बी की औपचारिक सम्बद्धता की समय सीमा

1 वर्ष	2 वर्ष	3 वर्ष	4 वर्ष	5 वर्ष	6 वर्ष	7 वर्ष
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

निम्नलिखित सेवाओं के प्रावधान हेतु कौन सी एजेन्सी जिम्मेदार है?

जल–आपूर्ति एवं मल निर्यास(सीवरेज)

शहरी स्थानीय निकाय	नगर स्तरीय विशेष उद्देशीय एजेन्सीयां	राज्य स्तरीय विशेष उद्देशीय एजेन्सी	पी एच ई डी	कोई अन्य (निर्दिष्ट करें)

जहां यह म्यूनीसिपल कार्य नहीं है वहां इस कार्य को म्यूनिसिपैलिटि को हस्तान्तरण हेतु सीमा

1 वर्ष	2 वर्ष	3 वर्ष	4 वर्ष	5 वर्ष	6 वर्ष	7 वर्ष
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

सार्वजनिक परिवहन

शहरी स्थानीय निकाय	नगर स्तरीय विशेष उद्देशीय एजेन्सियां	राज्य स्तरीय विशेष उद्देश्य एजेन्सी	अन्य कोई (निर्दिष्ट करे)

जहां यह म्यूनिसिपल कार्य नहीं है वहां इस कार्य को म्यूनिसिपैलिटि को हस्तान्तरण करने के लिए सीमा

1 वर्ष	2 वर्ष	3 वर्ष	4 वर्ष	5 वर्ष	6 वर्ष	7 वर्ष
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

ऐच्छिक सुधार कार्यसूची

भवन निर्माण,स्थल के विकास आदि के लिए अनुमोदन प्रक्रिया को सरल एवं कारगर बनाने के लिए उपनियमों में संशोधन।

समय सीमा

1 वर्ष	2 वर्ष	3 वर्ष	4 वर्ष	5 वर्ष	6 वर्ष	7 वर्ष

कृषि भूमि को गैर कृषि उद्देश्यों हेतु परिवर्तित करने के लिए विधिक एवं प्रावधानात्मक ढांचों का सरलीकरण।

समय सीमा

1 वर्ष	2 वर्ष	3 वर्ष	4 वर्ष	5 वर्ष	6 वर्ष	7 वर्ष

यू एल बी में सम्पत्ति स्वामित्व प्रमाणन व्यवस्था की शुरुआत।

समय सीमा

1 वर्ष	2 वर्ष	3 वर्ष	4 वर्ष	5 वर्ष	6 वर्ष	7 वर्ष

क्रास सब्सीडायज़ेशन व्यवस्था के तहत ई डब्ल्यू एस/ एल आई जी श्रेणी के लिए सभी आवासीय परियोजनाओं (सार्वजनिक एवं प्राईवेट एजेन्सी दोनों) में विकसित भूमि का कम से कम 20–25 % उद्धिष्ट किया जाना।

समय सीमा

1 वर्ष	2 वर्ष	3 वर्ष	4 वर्ष	5 वर्ष	6 वर्ष	7 वर्ष

भूमि एवं सम्पत्ति के पंजीकरण की कम्प्यूटरीकृत प्रक्रिया की शुरुआत

समय सीमा

1 वर्ष	2 वर्ष	3 वर्ष	4 वर्ष	5 वर्ष	6 वर्ष	7 वर्ष

जल संरक्षण उपायों को अपनाने के लिए तथा भविष्य में बनाये जाने वाले सभी भवनों में बरसाती जल जमा करने की व्यवस्था अनिवार्य बनाने हेतु उपनियमों का संशोधन।

समय सीमा						
1 वर्ष	2 वर्ष	3 वर्ष	4 वर्ष	5 वर्ष	6 वर्ष	7 वर्ष

प्रयुक्त जल के पुनः प्रयोग के संबंध में उप नियम

समय सीमा						
1 वर्ष	2 वर्ष	3 वर्ष	4 वर्ष	5 वर्ष	6 वर्ष	7 वर्ष

प्रशासनिक सुधार अर्थात स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजनाओं, सेवानिवृत्ति आदि के कारण रिक्त होने वाले पदों को न भरने की शुरुआत द्वारा स्थापना की संख्या में कमी करना और इस संबंध में विशिष्ट परिणाम प्राप्त करना।

समय सीमा						
1 वर्ष	2 वर्ष	3 वर्ष	4 वर्ष	5 वर्ष	6 वर्ष	7 वर्ष

संरचनात्मक सुधार

समय सीमा						
1 वर्ष	2 वर्ष	3 वर्ष	4 वर्ष	5 वर्ष	6 वर्ष	7 वर्ष

सार्वजनिक-प्राइवेट सहभागिता को प्रोत्साहन

समय सीमा						
1 वर्ष	2 वर्ष	3 वर्ष	4 वर्ष	5 वर्ष	6 वर्ष	7 वर्ष

IV. करार ज्ञापन का मसौदा (एम ओ ए)

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण
(जे एन एन यू आर एम)

शहरी विकास मंत्रालय

या

शहरी रोजगार एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय
(भारत सरकार)

और

_____ सरकार

एवं

_____ पैरा स्टेटल एजेन्सी के नगर निगम

के बीच

करार ज्ञापन का मसौदा (एम ओ ए)

जेएनएनयूआरएम

दिनांक _____

यह करार वर्ष 200..... के माह के ..... दिन को शहरी विकास मंत्रालय या शहरी रोजगार एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय के माध्यम से भारत सरकार भाग I

और

(*राज्य का नाम)* राज्य सरकार द्वारा उसके राज्यपाल के माध्यम से, भाग **I**

और

नगर निगम (*नगर निगम या पैरा स्टेटल एजेन्सी का नाम)* द्वारा उसके प्राधिकृत व्यक्ति के माध्यम से भाग III के बीच किया जाता है।

चूंकि भाग III भाग I से जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे एन एन यू आर एम) के तहत वित्तीय सहायता चाहता है।

चूंकि भाग III में सहायता के लिए आवश्यकताओं के अनुसरण में एक नगर विकास योजना (सीडीपी) विकसित की गई है, जिसका अनुलग्नक I में विस्तृत विवरण है,

और चूंकि भाग III ने ..... के संबंध में इसकी संभाव्यता पर एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की है, जिसका विस्तृत विवरण अनुलग्नक II पर है,

और चूंकि भाग **I** तथा भाग III ने इसमें निर्दिष्ट समय सीमा के अनुसार सुधार कार्यसूची को कार्यान्वित करने का जिम्मा लिया है जिसका अनुलग्नक III तथा IV में विस्तृत विवरण है,

और चूंकि भाग I ने अनुलंग्नक **I, I , III** तथा IV में उद्धृत कागजात को ध्यान में लिया है और उन्हें जे एन एन यू आर एम के उद्देश्य एवं लक्ष्यों के संगत पाया है,

और चूंकि भाग I करार में निर्दिष्ट शर्तों एवं निबन्धनों के अनुसार..... वर्षों की अवधि में रुपये..... का अनुदान प्रदान करने की सहमति देता है।

अब पार्टियां निम्नलिखित की पुष्टि करती हैं:–

1. कि करार ज्ञापन (एम ओ ए) के हस्ताक्षर होने तथा ऊपर उद्धृत कागजात अर्थात अनुलग्नक **I, II, III, IV** के प्रस्तुत करने पर भाग I रुपए ..... की पहली किस्त प्रदान करेगा,

2. कि भाग I एक सन्तोषजनक प्रगति रिपोर्ट जिसमें निम्नलिखित दर्शाया गया हो, के प्रस्तुत किये जाने पर रुपये..... की दूसरी किस्त प्रदान करेगा,

   क. _____

   ख. _____

   ग. _____

3. कि भाग I निम्नलिखित दर्शाते हुए एक सन्तोषजनक प्रगति रिपोर्ट जिसमें निम्नलिखित दर्शाया गया हो, प्रस्तुत किये जाने पर रुपये..... की तीसरी किस्त प्रदान करेगा,

क. _____

ख. _____

ग. _____

4. कि भाग I एक सन्तोषजनक प्रगति रिपोर्ट जिसमें निम्नलिखित दर्शाया गया हो, के प्रस्तुत किये जाने पर रुपये..... की अन्तिम किस्त प्रदान करेगा,

क. _____

ख. _____

ग. _____

5. कि भाग I या उसके द्वारा नामित कोई संस्था, चल रही परियोजनाओं की प्रगति तथा सुधार कार्यसूची का पता लगाने हेतु नामित प्रतिनिधियों के माध्यम से आवधिक रूप से स्थल निरीक्षण कर सकता है,

6. कि प्रगति रिपोर्ट के अलावा भाग III अनुदान में से खर्चों की एक तिमाही रिपोर्ट भाग I को प्रस्तुत करेगा। यदि भाग III ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है तो जब तक इसे प्रस्तुत नहीं किया जाता तब तक अनुदान की अगली किस्त स्थगित कर दी जाएगी।

7. इसी तरह भाग I सुधार योजना के कार्यान्वयन के संबंध में, जैसा कि अनुलग्नक III में है अर्धवार्षिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा,

8. कि भाग I तथा भाग III परियोजना के पूरा होने पर जे एन एन यू आर एम के परिणाम के संबंध में एक पूर्ण रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा,

9. कि करार की पार्टियां पुन: प्रतिज्ञाबद्ध हैं कि पार्टियों के बीच कोई विवाद होने पर मामला आर्बिटेसन एण्ड कन्सीलिएसन एक्ट 1996 तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये तथा समय-समय पर संशोधित नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत मध्यस्थता द्वारा निपटाये जाऐंगे। विवाद के मामले को मध्यस्थ का रूप में -------- (मध्यस्थ का नाम) को भेजा जाएगा किन्तु यदि ऐसा व्यक्ति मध्यस्थ के रूप में कार्य करने से मना करता है या लौटाता है बीमारी या अन्यथा या मृत्यु के कारण असमर्थ है तब---------- (मध्यस्थ के रूप में दूसरे व्यक्ति का नाम) पार्टियों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करेंगे तथा विवाद ऐसे व्यक्ति को भेजा जाएगा और यदि वह दूसरा व्यक्ति भी किसी कारणवश दोनों पार्टियों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए उपलब्ध नहीं है तो दोनों पार्टियां अपनी पसंद से किसी एक व्यक्ति को मध्यस्थ के रूप में नामित करेंगी तथा ऐसे मध्यस्थ का निर्णय पार्टियों के लिए अन्तिम तथा बाध्यकारी होगा।

10. कि यदि सुधार कार्यसूची के कार्यान्वयन या किसी आवधिक रिपोर्ट के प्रस्तुतीकरण आदि में भाग I द्वारा राज्य स्तर पर या शहरी स्थानीय निकाय या पेरास्टेटल स्तर पर भाग III द्वारा कोई ऐसा विलम्ब होता है जो

कि भाग I या भाग III के नियंत्रण वाह्य परिस्थितियों के कारण है जैसे उच्च शक्ति या अन्य कारण से होता है तो जे एन एन यू आर एम के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए समय बढ़ाने के मामले में निर्णय भाग I के विवेकाधीन होगा।

11. कि जे एन एन यू आर एम की शर्तों एवं निबन्धनों के संबंध में किसी भंग की दशा में भाग I को भाग I तथा III को 30 दिन का नोटिस देते हुए अनुदान की आगामी किश्तों को स्थगित करने का हक होगा। साथ ही इस संबंध में भाग I द्वारा लिया गया निर्णय भाग I या भाग III पर अन्तिम तथा बाध्यकारी होगा यद्यपि ऐसे आदेशों को जारी करने से पहले भाग I या भाग III को अपनी बात कहने का अवसर दिया जाएगा।

साक्ष्य के तौर पर सभी पार्टियां साक्षियों की मौजूदगी में करार ज्ञापन पर अपने हस्ताक्षर करेंगी:–

साक्षी

1 .....

2 .....

शहरी विकास मंत्रालय

या

शहरी रोजगार एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय

(भारत सरकार) (भाग I)

.....सरकार भाग (I)

.....नगर निगम

या

पेरास्टेटल एजेन्सी.....(भाग III)